

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2011/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

1. प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--\*\*\*\*--


पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को दिनांक 1-4-2011 (माह अप्रैल, 2011 का वेतन जो मई, 2011 में देय था) से 132% मंहगाई भत्ता (35% एक मुश्त अतिरिक्त वृद्धि जोड़कर) दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृति किया जाये :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-10-2011 (माह अक्टूबर 2011 का वेतन जो नवम्बर, 2011 में देय होगा )	मूल वेतन का 142% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर)

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-2/2011/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर, 2011

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
( डी.के. सक्सैना )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग